REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99



अमाधारण

**EXTRAORDINARY** भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2017/कार्तिक 26, 1939 सं. 9341 No. 934] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2017/KARTIKA 26, 1939

# कार्मिक. लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1428(अ).— भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत :-

ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2017 1. (1) कहलाएंगे।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "त्रिपुरा" शीर्षक और 2. उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

ात्रपुरा	
राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पोस्ट	56
सरकार के मुख्य सचिव	1
सरकार के अपर मुख्य सचिव	1

सरकार के प्रधान सचिव	3
महानिदेशक, राज्य लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान	1
राज्यपाल के प्रधान सचिव	1
प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली	1
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	1
सरकार के सचिव	8
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों स्वायत्त जिला परिषद्	1
रेजिडेंट कमिश्नर, त्रिपुरा	1
आयुक्त, विभागीय जांच	1
सचिव, लोक सेवा आयोग	1
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव	8
्र जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर	
्रेट निदेशक, उच्चतर शिक्षा	1
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	1
निदेशक, सतर्कता	1
निदेशक, समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा	1
निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1
निदेशक, भूमि अभिलेख एवं बंदोबस्त	1
निदेशक, सूचना एवं सांस्कृतिक मामले	1
पंजीयक, सहकारी संस्थाएं	1
श्रम आयुक्त	1
निदेशक, युवा मामले एवं खेल	1
निदेशक, अनुसूचित जनजाति कल्याण	1
निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	1
आयुक्त, कर एवं उत्पाद शुल्क	1
निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	1
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी	1
निदेशक, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उद्योग	1
निदेशक, योजना एवं समन्वय	1
निदेशक, शहरी विकास	1
नगर आयुक्त, अगरतला नगर निगम	1
कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	5
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	2

_			
	3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	14
	4	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	1

5	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	9
6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने	31
	वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं	
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	71
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	102"

[फा.सं. 11031/10/2015-अ.भा.से.-II (क)] ज्योत्सना गुप्त, अवर सचिव

टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, त्रिपुरा के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कुल प्राधिकृत पदों की संख्या 96 थी ।

टिप्पणी (2): मुख्य नियम दिनांक 22.10.1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । मुख्य नियमों की अनुसूची ।।। में त्रिपुरा संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया था :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1	603(अ)	06.09.2013

## **MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2017

G.S.R. 1428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Tripura, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

- 1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading "Tripura" and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

Senior Duty Posts under the State Government	56
Chief Secretary to Government	1
Additional Chief Secretary to Government	1
	-
Principal Secretary to Government	3
Director General, State Institute of Public Administration and Rural Development	1

"TRIPLIRA

	Principal Secretary to Governor	1
	Principal Resident Commissioner, Tripura Bhawan, New Delhi	1
	Principal Secretary to Chief Minister	1
	Secretary to Government	8
	Chief Executive Officer, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council	1
	Resident Commissioner, Tripura	1
	Commissioner for Departmental Inquiries	1
	Secretary, Public Service Commission	1
	Additional/Joint/Deputy Secretary to Govt.	8
	District Magistrate & Collector	8
	Director of Higher Education	1
	Director of Secondary Education	1
	Director of Vigilance	1
	Director of Social Welfare & Social Education	1
	Director of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs	1
	Director of Land Record & Settlement	1
	Director of Information & Cultural Affairs	1
	Registrar of Co-operative Societies	1
	Labour Commissioner	1
	Director, Youth Affairs & Sports	1
	Director of Welfare for Scheduled Tribes	1
	Director of Welfare for Scheduled Castes & OBC	1
	Commissioner of Taxes & Excise	1
	Director of Industries & Commerce	1
	Director, Information Technology	1
	Director of Handloom, Handicrafts & Sericulture	1
	Director, Planning & Coordination	1
	Director, Urban Development	1
	Municipal Commissioner, Agartala Municipal Corporation	1
1	Total Senior Duty Posts	56
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	22
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	14
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	1
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	9
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service	31
	(Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	71
		102'
	Total Authorised Strength	

[F. No. 11031/10/2015-AIS-II (A)] JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorised Strength of Tripura Cadre was 96.

**Note (2):** The principal regulations were published in the Gazette of India vide number SRO 3350 dated the  $22^{nd}$  October 1955 and subsequently amended in respect of the Tripura Cadre by the following GSR No. and date:-

Sl. No.	GSR No.	DATE
1	603(E)	06.09.2013

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

4



REGD. NO. D. L.-33004/99

935रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 935]
 नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2017/कार्तिक 26, 1939

 No. 935]
 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2017/KARTIKA 26, 1939

# कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1429(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नालिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (i) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2017 कहलाएंगे।
  - (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची-।। में-

(क) तालिका में, भाग-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों" में प्रथम कॉलम में "त्रिपुरा" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

	''त्रिपुरा	
(1)	सरकार के मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(2)	सरकार के अपर मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(3)	सरकार के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(4)	महानिदेशक, राज्य लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

(5)	राज्यपाल के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(6)	प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स  में स्तर 15
(7)	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

(8)	सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(9)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिला	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
	- परिषद्	
(10)	रेजीडेंट आयुक्त, त्रिपुरा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(11)	आयुक्त, विभागीय जांच	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14"

(ख) "भाग ख" में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'त्रिपुरा' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''त्रिपुरा	
(1)	सचिव, लोक सेवा आयोग
(2)	सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव
(3)	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर
(4)	निदेशक, उच्चतर शिक्षा
(5)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
(6)	निदेशक, सतर्कता
(7)	निदेशक, समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा
(8)	निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
(9)	निदेशक, भूमि अभिलेख एवं बंदोबस्त
(10)	निदेशक, सूचना एवं सांस्कृतिक मामले
(11)	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
(12)	श्रम आयुक्त
(13)	निदेशक, युवा मामले एवं खेल
(14)	निदेशक, अनुसूचित जनजाति कल्याण
(15)	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
(16)	आयुक्त, कर एवं उत्पाद शुल्क
(17)	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
(18)	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
(19)	निदेशक, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उद्योग
(20)	निदेशक, योजना एवं समन्वय
(21)	निदेशक, शहरी विकास
(22)	नगर आयुक्त, अगरतला नगर निगम''

[फा. सं. 11031/10/2015-अ.भा.से.-II (ख)]

ज्योत्सना गुप्त, अवर सचिव

**टिप्परणी:** प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि.सं. 870 (अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

क्रम सं.	सा.का.नि. नं.	दिनांक
1.	1062 (अ)	10.11.2016
2.	1178(अ)	27.12.2016
3.	1194(अ)	30.12.2016
4.	575(अ)	12.06.2017
5.	1382(अ)	10.11.2017

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

#### (Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 17th November, 2017

**G.S.R.** 1429(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Tripura** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,-

(a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry "Tripura" occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

	"TRIPURA				
(1)	Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix			
(2)	Additional Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix			
(3)	Principal Secretary to Government	Level 15 in the pay matrix			
(4)	Director General, State Institute of Public Administration and Rural	Level 15 in the pay matrix			
	Development				
(5)	Principal Secretary to Governor	Level 15 in the pay matrix			
(6)	Principal Resident Commissioner, Tripura Bhawan, New Delhi	Level 15 in the pay matrix			
(7)	Principal Secretary to Chief Minister	Level 15 in the pay matrix			
(8)	Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix			
(9)	Chief Executive Officer, Tripura Tribal Areas Autonomous District	Level 14 in the pay matrix			
	Council				
(10)	Resident Commissioner, Tripura	Level 14 in the pay matrix			
(11)	Commissioner for Departmental Inquiries	Level 14 in the pay matrix			

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Tripura the following shall be substituted,–

"TRIPURA		
(1)	Secretary, Public Service Commission	
(2)	Additional/Joint/Deputy Secretary to Govt.	
(3)	District Magistrate & Collector	
(4)	Director of Higher Education	
(5)	Director of Secondary Education	
(6)	Director of Vigilance	
(7)	Director of Social Welfare & Social Education	
(8)	Director of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs	
(9)	Director of Land Record & Settlement	
(10)	Director of Information & Cultural Affairs	
(11)	Registrar of Co-operative Societies	
(12)	Labour Commissioner	
(13)	Director, Youth Affairs & Sports	
(14)	Director of Welfare for Scheduled Tribes	
(15)	Director of Welfare for Scheduled Castes & OBC	
(16)	Commissioner of Taxes & Excise	
(17)	Director of Industries & Commerce	
(18)	Director, Information Technology	
(19)	Director of Handloom, Handicrafts & Sericulture	
(20)	Director, Planning & Coordination	
(21)	Director, Urban Development	
(22)	Municipal Commissioner, Agartala Municipal Corporation "	

[F. No. 11031/10/2015- AIS-II (B)] JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

by ALOK KUMAR

KUMAR<sup>Date: 2017.11.20</sup> 11:59:21 +05'30'

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 870 (E) dated the 08<sup>th</sup> September, 2016 and subsequently amended by the following GSR No. and date:-

Sl.No.	GSR No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017
5.	1382(E)	10.11.2017